

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1941 (श0) (सं0 पटना 536) पटना, मंगलवार, 9 अप्रील 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 9 अप्रील 2019

एस० ओ० 84 ,दिनांक 9 अप्रील 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, यथा :-

- 1. (1) यह नियमावली बिहार **माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) निय**मावली, 2019 कही जा सकेगी।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम दिनांक 29, मार्च, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 41 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण:--इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "आस्ति का मूल्य" से कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत है, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या नहीं।"

- 3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल 2019 से, नियम 42 में,-
- (क) उप नियम (1) में,-
- क. खण्ड (च) में, निम्निलिखित स्पष्टीकरण का समावेश किया जाएगा, अर्थात्,-"स्पष्टीकरण: इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिए एतत द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची | के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं

की आपूर्ति के मामले में, T_4 का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि जो अपार्टमेंट, पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तारीख या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे की तारीख, इनमे से जो भी पहले हो, या उसके पहले बुक किये गये हों और जो उक्त तारीख तक बुक न किये गये हों, के निर्माण में इनपुट और इनपुट सेवाओं का प्रयोग एक ही प्रकार का होगा।

- ख. खण्ड (छ) में, "फार्म जीएसटीआर-2" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित " और फार्म जीएसटीआर-3ख के सारांश स्तर पर" शब्दों और अंकों को समावेशित किया जाएगा;
- ग. खण्ड (ज) में,
 - i. "(छ) " कोष्ठकों और शब्द के लिए, "(च)" कोष्ठकों और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ. खण्ड (झ) में,
 - i. निम्निलिखित परंतुक का विद्यमान परंतुक से पूर्व, समावेश किया जाएगा, अर्थात्,"बशर्ते कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत
 आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, किसी कर अविध के लिए 'E/F' के मूल्य
 की गणना निम्नानुसार E और F के मूल्य लेते हुए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलगअलग की जाएगी;

E= अपार्टमेंट्स का समग्र कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट्स के कर जमा समग्र कालीन क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, के मुद्दे के बाद बेचे जाने वाले प्रमोटर द्वारा पहचान किया गया हो:

F= प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पण्टीकरण 2: वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (İV) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic) या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।

- ii. विद्यमान परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के लिए, "बशर्ते और आगे" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ङ. खण्ड (I) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - "(I) 'C3', 'D1' और 'D2' राशि की केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप

- जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से की जाएगी:":
- च. खण्ड (इ) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) उप नियम (2) में, "इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्दों के लिए, "उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) उप नियम (2) के खण्ड (क) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) उप नियम (२) के बाद, निम्नलिखित उप नियमों का समावेश किया जाएगा, अर्थात,-
- "(3) उक्त अधिनियम की अनुसूची \prod के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना की जाएगी, ऐसी प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बदलाव नहीं आया है 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो, उस वितीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहल कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वितीय वर्ष के सितम्बर माह तक, उक्त उप-नियम के अनुरूप है की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि \mathbf{E}/\mathbf{F} के मुल्य की गणना निम्नलिखित \mathbf{E} और \mathbf{F} के मान से की जाएगी:

E= अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे पूरा होने के प्रमाण पत्र या पहले कब्जे के जारी होने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है प्रोजेक्ट का, जो भी पहले हो:

F= प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र; तथा.-

- (क) जहां 'D1' और 'D2' के संबंध में अंत में गणना की गई राशियों का कुल योग 'D1' और 'D2' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशियों के कुल योग से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वितीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक, प्ररूप जीएसटीआर- उख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, अग्रिम वितीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक; या
- (ख) जहां ''D1' और ''D2' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशि का कुल योग ''D1' और ''D2' के संबंध में अंतिम गणना से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वितीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रीटर्न में किया जायेगा।

- (4) अधिनियम की अनुसूची \prod के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना आवासीय अचल संपत्ति के अलावा प्रत्येक प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि,जो भी पहले हो, उस वितीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहल कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वितीय वर्ष के सितम्बर माह तक, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, -
 - (क) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रेडिट की कुल राशि (${
 m C3}_{
 m aggregate_comm}$) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

 ${
m C3}_{
m aggregate_comm}$ = [3प-नियम (1) के तहत निर्धारित ${
m C3}$ की राशियों की कुल राशि 1 जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 तक के लिए ${
m x}~({
m A_C}~/{
m A_T})]$ + [3प-नियम (1) के तहत निर्धारित ${
m C3}$ की राशियों की कुल राशि जो कि 1 अप्रैल, 2019 से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अथवा प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक, जो भी पहले हो]

जहां, -

 \mathbf{A}_{C} = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

A_T= प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ख) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र आम क्रेडिट की राशि (${
m C3}_{
m final_comm}$) की गणना निम्नानुसार की जाएगी

 $C3_{\text{final_comm}} = C3_{\text{aggregate_comm}} \times (E / F)$

जहां, -

E = वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो।

F = A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

- (ग) जहां C3aggregate_comm C3final_comm से अधिक है, इस तरह की अधिकता वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा हो । प्रोजेक्ट का स्थान लेता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से लेकर भुगतान की तारीखके लिए धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (घ) जहां, $C3_{final_comm}$, $C3_{aggregate_comm}$ से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वितीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला क़ब्ज़ा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रिटर्न में किया जायेगा।
- (5) उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना उन आरआरईपी के पूरा होने या पहले कब्जे पर, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554,

दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था**, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव** आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

- (6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और उप-नियम (3) के अनुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण किया जाएगा।"।
 - 4. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल 2019 से, नियम 43 में, -
 - (i) उप नियम (1) में, -
 - (क) उपवाक्य (क) में, शब्द और आंकड़े "फॉर्म जीएसटीआर -2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर -3ख" प्रतिस्थपित किया जाएगा ;
 - (ख)- उपवाक्य (ख) में, शब्द और आंकड़े "फॉर्म जीएसटीआर -2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर -3ख " प्रतिस्थिपित किया जाएगा;
 - (ग) उपवाक्य (ख) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थिपत किया जाएगा यथा -

"स्पष्टीकरणः इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिए एतत द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स की राशि जिसका उपयोग विशेष रूप से यारियायती आपूर्ति से भिन्न अन्य आपूर्ति प्रभावित करने के लिए जिसमें शून्य रेटेड आपूर्ति आती है, उपयोग निर्माण चरण के दौरान शून्य होगा, क्योंकि पूँजीगत वस्तुओं का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा, जो भी पहले हो, से पहले बुक किए गए अपार्टमेंट के निर्माण के लिए तथा जिन्हें उक्त तिथि तक बुक नहीं किया गया हो के लिए समान तौर पर किया जाएगा।"

- (घ) उपवाक्य (छ) में, -
 - (i) "F' जो कि कुल कारोबार है" के बाद, "राज्य में" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
 - (ii) मौजूदा परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :

"बशर्ते अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के लिए, कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग से की जाएगी, E और F का मान्य इस प्रकार है ;

E= अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे प्रोजेक्ट के पूरा होने के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है,;

F= प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1: कर अविध में, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे में होना, E के मूल्य में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा, जो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो, जो भी पहले हो;

स्पष्टीकरण 2: वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iV) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic) या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।";

- (iii) मौजूदा परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के स्थान पर, "परन्तुक यह कि" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ङ) उपवाक्य (ज) के बाद, निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -
- "(I) Te की गणना केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित की जाएगी।"
- (ii) निम्निलिखित उप नियमों के बाद उप नियम (2) को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा "(2) अधिनियम की अनुसूची H के पैरा 5 (ख) के अंतर्गत की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, छूट दी गई आपूर्ति ($T_e^{\rm final}$) के लिए सामान्य समान क्रेडिट की राशि की गणना प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूरी अवधि के लिए या 1.7.2017, जो भी बाद में हो से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग, वितीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर के महीने के लिए रिटर्न की प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्ज़ा निम्नानुसार अंतिम रूप से कि जाएगी:

 $T_e^{\text{final}} = [(E1 + E2 + E3) / F] X T_e^{\text{final}},$

जहां,-

E1 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त है

E2 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसकी आपूर्ति आंशिक रूप से छूट और आंशिक रूप से कर योग्य है, परिणामस्वरूप 01.04.2019 को कर की दरों में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी, -

E2 = [ऐसे अपार्टमेंट का कालीन क्षेत्र] <math>x [V1/(V1 + V2)], -

जहां,-

V1 ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर से मुक्त था; तथा

V2 ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर योग्य था

E3 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो:

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट के कुल कालीन क्षेत्र;

 $T_c^{final} =$ प्रोजेक्ट में प्रयुक्त सभी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में A^{final} का समुच्चय और प्रत्येक पूँजीगत वस्तुओं के लिए A^{final} की गणना निम्नानुसार होगी,

 ${\bf A}^{\rm final} = {\bf A}{\bf x}$ (जितने महीनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा / 60)

तथा,-

(क) जहां T_e^{final} का मूल्य उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अविध के लिए निर्धारित Te की मात्रा से अधिक है, इस तरह की अधिकता महीने के बाद के महीने में पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व सितम्बर के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या पहली कब्जा प्रोजेक्ट की जगह लेता है और उक्त व्यक्ति धारा 50 उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। भुगतान की तारीख अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होगी; या

(ख) जहां उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अविध के लिए निर्धारित से की मात्राओं का एकत्रीकरण Te fina से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में एक महीने के लिए कर सकेगा, जो कि जो बाद के सितंबर महीने के बाद नहीं होगा। वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जाहो गया हो।

स्पष्टीकरण ।- $\mathbf{T_e}^{\mathrm{fina}}$ की गणना के प्रयोजन से, महीने का हिस्सा एक पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

- (3) केंद्रीय टैक्स, राज्य कर, केंद्रशासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए $\mathbf{T_e}^{\text{fina}}$ और $\mathbf{T_e}^{\text{fina}}$ सभी की अलग से गणना की जानी चाहिए।
- (4) जहां किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे पूंजीगत सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण उप-नियम (2) के अनुसार किया जाएगा।
- (5) जहां प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किए गए किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शेष रहता है, शेष जीवन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उस प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का आगे भी उपयोग किया जाता है।";
 - (iii) स्पष्टीकरण को अब "स्पष्टीकरण 1" लिखा जायेगा और इस प्रकार लिखे गये स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जायेगा।

"स्पष्टीकरण 2: नियम 42 और इस नियम के लिए, -

- (i) "अपार्टमेंट" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्टि किया गया है।
- (ii) " प्रोजेक्ट" शब्द का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा।
- (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्टि किया गया है।
- (iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" शब्द का अर्थ एक आरईपी होगा, जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट के कार्पेट क्षेत्र आरईपी में सभी अपार्टमेंट के कुल कार्पेट क्षेत्र का 15% से अधिक नहीं है।
- (v) "प्रवर्तक (प्रमोटर)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।
- (vi) "आवासीय अपार्टमेंट" शब्द का अर्थ आवासीय उपयोग के लिए अभिप्रेत अपार्टमेंट जैसा कि रेरा या सक्षम प्राधिकारी को घोषित किया गया है;
- (vii) "वाणिज्यिक अपार्टमेंट" का अर्थ वही होगा जो कि आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न एक अपार्टमेंट होगा;
- (viii) "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा "आवासीय अपार्टमेंट" में दिखाई देती है, से अभिप्रायः ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी से है जिसका सृजन या स्थापना ऐसे किसी कानून के अंतर्गत की गयी हो जो उस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के द्वारा लागू किये गये हों, और जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे भूखण्ड पर प्राधिकार रखता हो और जिसको ऐसे अचल संपत्ति पर डेवलपमेंट कार्य की अनुमति देने की शिक्त प्राप्त हो।

- (ix) "रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" शब्द का अर्थ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) की धारा 20 (1) के तहत स्थापित प्राधिकरण होगा।
- (x) "कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया)" शब्द का अर्थ वही है जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।
- (xi) "एक अपार्टमेंट जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे" का मतलब होगा एक अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा-
 - (क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है: तथा
 - (ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो;
 - (ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आवंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमेंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो ।
- (xii) शब्द "चल रही प्रोजेक्ट" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, में दिया गया हो।
- (xiii) "01.04.2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली प्रोजेक्ट" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, यथा संशोधित, में दिया गया हो।"।
- 5. उक्त नियमों में नियम 88 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "नियम 88क. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश—एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का प्रथमतः उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई है तो उसका उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, इसी क्रम में किया जाएगा :

परंतु केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए केवल एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले पूर्णतया उपयोग किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।"।

- 6. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में नियम 100 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "100. कितपय मामलों में निर्धारण—(1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13 में जारी किया जाएगा और उसका सारांश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया जाएगा ।
 - (2) समुचित अधिकारी कराधेय व्यक्ति को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में एक सूचना जारी करेगा, जिसमें वह आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार

पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसके सारांश की तामील इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में भी की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय अनुजात करने के पश्चात्, प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15 में आदेश पारित करेगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा।

- (3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16** में जारी किया जाएगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में अपलोड किया जाएगा ।
- (4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-17 में आवेदन कर सकेगा ।
- (5) यथास्थिति, प्रतिसंहरण आदेश या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18** में जारी किया जाएगा ।"।
- 7. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के नियम 142 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"142. अधिनियम के अधीन रकमों की मांग के लिए सूचना और आदेश—(1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,--

- (क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में तामील करते हुए,
- (ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन विवरण, इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-O1 में तामील करते हुए, उसमें संदेय रकम के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करेगा ।
 - (2) जहां सूचना या विवरण की तामील से पूर्व कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, कर, ब्याज और धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार शास्ति का संदाय कर देता है या कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम का संदाय कर देता है तो वह समुचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में जारी करेगा।
 - (3) जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का माल और प्रवहन को निरुद्ध करने या जब्त करने के 14 दिन के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा।

- (4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा।
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा ।
- (7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में अपलोड किया जाएगा ।"।
- 8. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :--

	•	
"प्रर	ष्प जीएसटी डीआरसी- 01	
[नियम <i>100 (2)</i> 3	और नियम <i>142(1)(</i> क) देखें]	
संदर्भ सं.:		तारीख:
सेवा में,		
जीएसटीआईएन/		
अस्थाई पहचान		
नाम		
पता		
कर अवधि	वि.व	अधिनियम -
धारा / उपधारा जिसके अधीन एससीएन जा	री किया गया -	
एससीएन संदर्भ सं	तारीख	
हेतुक दशि	ित करने संबंधी सूचना का सार	
(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :		
(ख) आधार :		
(ग) कर और अन्य देय :		
L		

								(रकम	न रुपए मे	i)	
क्र.सं	कर	आवर्त	कर		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
	दर e		अवधि			का स्थान)					
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- 2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।
- 3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है ।"।
- 9. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 02** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -02									
[नियम 142(1)(ख) देखें]									
संदर्भ सं.:	तारीख:								
सेवा में,									
डीएसटीआईएन/पहचान									
नाम									
पता									
कर अवधि :									
वि.व. :									
धारा /उपधारा जिसके अधीन विवरण जारी किया गया :									
एससीएन संदर्भ सं तारीख -									
विवरण संदर्भ सं तारीख -									
विवरण का सार :									
(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :									
(ख) आधार :									

(ग)	कर	और	अन्य	देय	:
(· · /	-11	0111	010 -1	Ψ-1	

(रकम रुपए में)

क्र.सं	कर	आवर्त	कर अव	यधि	अधिनियम	पीओएस	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
•	दर e					(प्रदाय					
			से	तक		का					
						स्थान)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
योग											योग

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

- (1) केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- (2) उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
- (3) प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है।"।

10. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -07

[नियम 100(1), 100(2), 100(3) और 142(5) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

- 1. आदेश के ब्यौरे :
- (क) आदेश सं.
- (ख) आदेश की तारीख
- (ग) वित्तीय वर्ष
- (घ) कर अवधिसेतक
- 2. अंतर्वलित निर्गमन
- 3. माल/सेवाओं का विवरण (यदि लागू हों)

क्र.सं.	एचएसएन कोड	विवरण

4. अधिनियम की धारा (धाराएं) जिसके अधीन मांग सृजित की गई है :

मांग के ब्यौरे :
 (रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
						(प्रदाय					
			से	तक		का					
						स्थान)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
योग											योग

आपको <तारीख> तक संदाय करने का निदेश दिया जाता है जिसके असफल होने पर आपके विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

सेवा में,	
	(जीएसटीआईएन/पहचान)
	वाम
	(पता)
टिप्पण -	

- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- 2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।
- 3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है।"।
- 11. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 08** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप	रखा जाएगा, अर्थात् :-		
	"प्ररूप	जीएसटी डीआरसी - 08	
	<i>[</i> [-	ोयम <i>142(7)</i> देखें <i>]</i>	
संदर्भ	सं.:		तारीख:
	परिशुद्धि /वापसी आदे	श का सार	
	1. आदेश की विशिष्टियां:		
	(क) वित्तीय वर्ष, यदि लागू हो		
	(ख) कर अवधि, यदि कोई हो	से तक	
	(ग) धारा जिसके अधीन आदेश पारित		
	किया गया है		
	(घ) मूल आदेश सं		

	(ਝ) ਸ	्ल ३	गादेश की त	गरीख								
	(ਚ) ਪ	ारिशुर्वि	द्धे आदेश र	нं.								
	(छ) ए	गरिशु	द्धि आदेश	की तारीख								
	(ज) ए	ग्आरग	एन, यदि प	ारिशुद्धि के	लिए							
	लागू ह	हो										
	(झ) प	रआर	एन की तार	रीख								
3. यह	ह मेरे र	नंजान	गदेश की प में आया	है कि ऊप	रोक्त 3]
		-	र परिशुद्धि				_					,
4. ক্র	पर निवि	रेष्ट 3	गदेश (धारा	T 129 के	अधीन	जारी) को	वापस लिप	र जाने	की अपेक्षा			
5. मा	ल / सं	ोवाओं	ां का विवर	ण (यदि र	त्रागू हो	·) :						
		•	क्र.सं.	एचएसए कोड	!न		विवरण					
				काड								
			धारा जिस			-	किया गया	है:				
7. पो	रेशुद्धि व	के प	धात् मांग व	के ब्यौरे, र	यदि क	ड़िहो:					/ 	' '\
											(रकम	रुपए में)
				1 -								
क्र.सं.	कर	दर	आवर्त	कर अवर्ष	धे	अधिनियम		कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
				- }			(प्रदाय का					
				से	तक		स्थान)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
-												
योग	<u> </u>)	तक संदार		T C) '	<u> </u>	<u>*</u>	r). 2111			-	T-FI TH
			तक सदार लिए कार्रव				ाता ह ।जस	ाक अस	ଫ ମ ନୋଟ ଏ	यर आपक	।परुद्ध ब	म् मित्राचा
47 4	., AKK	41	1111 9/11/9	וויך איז טוו	18711				हरू	गक्षर		
								नाम				
								पदना				

अधिकारिता पता

सेवा में,
(जीएसटीआईएन/पहचान)
नाम
(पता)
टिप्पण -
1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के
अधीन सृजित की गई है ।
4. क्रम सं. ७ पर की मांग सारणी को नहीं भरा जाएगा, यदि धारा 129 के अधीन जारी आदेश वापस ले
लिया गया है ।"।

12. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 13** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-								
	"प्ररूप जीएसटी एएसएमटी - 13							
	[नियम <i>100 (1)</i> देखें]							
संदर्भ सं.:	तारीख:							
To								
(जीएसटी / पहचान)							
=	गम							
(पता)							
कर अवधि :	वि.व. :							
विवरणी का प्रकार :								
सूचना संदर्भ सं.:	तारीख :							
	अधिनियम/नियमों के उपबंध :							
	(धारा 62 के अधीन निर्धारण)							
उद्देशिका - << मानक	>>							
पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना व	हो आपको अधिनियम की धारा 46 के अधीन उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत							
करने में असफलता के	िलिए जारी किया गया था । विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया है							
कि आपने आज तक उ	क्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।							
इसलिए, विभाग के पा	स उपलब्ध सूचना के आधार पर आप निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए							
गए अनुसार है :								
प्रस्तावना :								
दलील, यदि कोई हो	:							
चर्चा और निष्कर्ष :								
निर्णय :								
निर्धारित और संदेय रव	कम (ब्यौरे उपाबंध पर) :							

(रकम रुपए में)

क्र.सं	कर	आवर्त	कर अव	वधि	अधिनियम	पीओएस	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
	दर					(प्रदाय					
			से	तक		का					
						स्थान)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है । संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस आदेश के तामील की तारीख से 30 दिन के अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करते हैं तो इस आदेश को प्रतिसंहत किया गया समझा जाएगा ; अन्यथा पूर्वोक्त अवधि के पश्चात् बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- 2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।
- 3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।
- 13. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटी एएसएमटी 15** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"जीएसटी एएसएमटी – 15		
<i>[</i> देखें नियम <i>100(2)]</i>		
संदर्भ संख्या :		तारीख:
सेवा में,		
(जीएसटीआई/आईडी)		
नाम		
(पता)		
कर अवधि :		
वित्त वर्ष		
एससीएन संदर्भ संख्या :	तारीख :	
अधिनियम/नियमों के उपबंध :		

(धारा 63 के अधीन निर्धारण)

उद्देशिका - << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार का संचालन जारी रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी ।

या

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि आपको अविध के लिए क्यों न कर का संदाय करना चाहिए, चूंकि आपके रिजस्ट्रीकरण को तारीख से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है।

और आपके द्वारा कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है या तारीख को आयोजित कार्यवाहियों के दौरान आपके प्रत्युत्तर पर सम्यकतः विचार किया गया है ।

विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर, कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए अनुसार है :

प्रस्तावना :

दलील, यदि कोई हो :

निष्कर्ष (कार्यवाहियों को समाप्त करने या मांग सृजित करने के लिए) :

निर्धारित और संदेय रकम :

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर	आवर्त	कर		अधिनियम	पीओएस	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
	दर		अवधि			(प्रदाय					
						का					
			से	तक		स्थान)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है। संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अविध के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण -

- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- 2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
- 3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"

14. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एएसएमटी - 16 के स्थान पर निम्नलिखित पुरुप रखा जाएगा. अर्थात:-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······································	
	"जीएसटी एएसएमटी − 16	
	[देखें नियम <i>100(3)]</i>	
संदर्भ संख्याः		तारीख:
सेवा में		
((जीएसटीआई/आईडी)	
=	नाम	
((पता)	
कर अवधि :	वित्त वर्ष :	
	अधिनियम/नियमों के उपबंध :	
	(धारा 64 के अधीन निर्धारण)	
	उद्देशिका - << मानक >>	
मेरी सूचना में यह आ	ाया है कि गोदाम (पता) में या में (पता और यान क	। ब्यौरा) खड़े किए हुए
यान में ऐसे माल पड़े	हैं, जिनको कोई लेखा-जोखा नहीं है और आप इन मालों का	लेखा देने या मालों के
ब्यौरे को उपदर्शित कर	रने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए थे । अत	तः, ऐसे मालों पर नीचे
दिए अनुसार कर का रि	निर्धारण करने के लिए मैं अग्रसर होता हूं ।	
प्रस्तावना :		
चर्चा और निष्कर्ष :		
निर्णय :		
निर्धारित और संदेय रव	कम (ब्यौरे उपाबंध पर) :	
		/Tas Trum 11/1

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	कर	आवर्त	कर		अधिनियम	पीओएस	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
	दर		अवधि			(प्रदाय					
						का					
			से	तक		स्थान)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है । संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम पदनाम अधिकारिता पता

टिप्पण -

- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- 2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।
- 3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।"।

15. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में प्ररूप **जीएसटी सीपीडी - 02** में सारणी और सारणी के नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात:-

"क्रम सं.	अपराध	अधिनियम	शमनीय रकम
			(रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)

टिप्पण: (1) यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा पारित किया गया अपराध स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों में आता है, तो शमनीय रकम वह रकम होगी, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उन प्रवर्गों के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम होंगी, जिनमें शमनीय किए जाने वाले अपराध को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

(2) इस रकम को गौण शीर्ष "अन्य" में जमा किया जाएगा । "

9 अप्रील 2019

एस० ओ० 84, दिनांक 9 अप्रील 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

The 9th April 2019

- S.O. 84, Dated 9th April 2019— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2019.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 29th March, 2019.
 - 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 41, in sub-rule (1), after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: - For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that the "value of assets" means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon.".

- 3. With effect from 1st April, 2019, in Rule 42 of the said rules,
- (a) in sub rule (1),-

- a. in clause (f), the following Explanation shall be inserted, namely:-
 - "Explanation: For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, value of T₄ shall be zero during the construction phase because inputs and input services will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date."
- b. in clause (g), after the letter and figure "FORM GSTR-2", the words, letters and figure "and at summary level in FORM GSTR-3B" shall be inserted;
 c. in clause (h),
 - i. for the brackets and letter "(g)", the brackets and letter "(f)" shall be substituted;
- d. in clause (i),
 - i. before the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the value of 'E/F' for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:-
 - E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

- Explanation 1: In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier;
- Explanation 2: Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of 'E' in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended.
- ii. in the proviso, for the word "Provided", the words "Provided further" shall be substituted;
 - e. for the clause (1), the following clause shall be substituted, namely:"(1) the amount 'C3', 'D1' and 'D2' shall be computed separately for input
 tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and
 declared in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**;";
 - f. in the clause (m), for the words "added to the output tax liability of the registered person", the words, letters and figures "reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**" shall be substituted;
- b. in sub rule (2), for the words "The input tax credit", the words, figures and bracket "Except incase of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax credit" shall be substituted;
- c. in the clause (a) of sub-rule (2), for the words "added to the output tax liability of the registered person", the words, letters and figures "reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**" shall be substituted;
- d. after sub rule (2), the following sub rules shall be inserted, namely:-

"(3) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for each ongoing project or project which commences on or after 1st April, 2019, which did not undergo or did not require transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1stJuly, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the manner prescribed in the said sub-rule, with the modification that value of E/F shall be calculated taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project; and,-

- (a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D1' and 'D2' exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D1' and 'D2', such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation of the project takes place and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in subsection (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or
- (b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D1' and 'D2' exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D1' and 'D2', such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.
- (4) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for commercial portion in each project, other than residential real estate project (RREP), which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on the 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 vide number 554 dated 29th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the following manner.
 - (a) The aggregate amount of common credit on commercial portion in the project $(C3_{aggregate_comm})$ shall be calculated as under, $C3_{aggregate_comm} = [aggregate \ of \ amounts \ of \ C3 \ determined \ under \ sub-rule \ (1)$ for the tax periods starting from 1^{st} July, 2017 to 31^{st} March, 2019, x $(A_C \ / A_T)] + [aggregate \ of \ amounts \ of \ C3 \ determined \ under \ sub-rule \ (1)$ for the tax periods starting from 1^{st} April, 2019 to the date of completion or first occupation of the project, whichever is earlier]

Where, -

 A_C = total carpet area of the commercial apartments in the project

 A_T = total carpet area of all apartments in the project

(b) The amount of final eligible common credit on commercial portion in the project $(C3_{final_comm})$ shall be calculated as under

 $C3_{final_comm} = C3_{aggregate_comm} \times (E/F)$

Where, -

E = total carpet area of commercial apartments which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

 $F = A_C$ = total carpet area of the commercial apartments in the project

- where, C3_{aggregate_comm} exceeds C3_{final_comm}, such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment;
- (d) where, C3_{final_comm} exceeds C3_{aggregate_comm}, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.
- (5) Input tax determined under sub- rule (1) shall not be required to be calculated finally on completion or first occupation of an RREP which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended.
- (6) Where any input or input service are used for more than one project, input tax credit with respect to such input or input service shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (3).".
 - 4. With effect from 1st April, 2019, in rule 43 of the said rules,-
 - (i) in sub rule (1),-
 - (a) in clause (a), after the words, letters and figures "FORM GSTR-2", the words, letters and figure "and FORM GSTR-3B" shall be inserted;
 - (b) in clause (b), after the letters and figure "FORM GSTR-2", the words, letters and figures "and FORM GSTR-3B" shall be inserted;
 - (c) after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the said Act, the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies, shall be zero during the construction phase because capital goods will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.";

(d) in clause (g),-

under:

- (A) after the letter and words "F' is the total turnover", the words "in the State" shall be inserted;
- (B) Before the proviso the following proviso shall be inserted, namely,"Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of
 paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the value of 'E/F' for a tax period
 shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

Explanation1: In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

Explanation 2: Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of 'E' in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended.";

- (C) in the proviso, for the word "Provided", the words "Provided further" shall be substituted;
- (e) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,-
 - "(i) The amount Te shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.";
 - (ii) for sub rule (2) the following sub rules shall be substituted, namely:-
 - "(2) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of schedule II of the Act, the amount of common credit attributable towards exempted supplies (Te^{final}) shall be calculated finally for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, for each project separately, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, as under:

 $Te^{final} = [(E1 + E2 + E3) / F] \times Tc^{final},$

Where.-

E1= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax

E2= aggregate carpet area of the apartments, supply of which is partly exempt and partly taxable, consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019, which shall be calculated as under, -

E2= [Carpet area of such apartments] $x [V_1/(V_1+V_2)]$,-

Where,-

 V_1 is the total value of supply of such apartments which was exempt from tax; and V_2 is the total value of supply of such apartments which was taxable

E3 = aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

 Tc^{final} = aggregate of A^{final} in respect of all capital goods used in the project and A^{final} for each capital goods shall be calculated as under,

A^{final} = A x (number of months for which capital goods is used for the project/ 60)

and,-

(a) where value of Te^{final} exceeds the aggregate of amounts of Te determined for each tax period under sub-rule (1), such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the

- completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or
- (b) where aggregate of amounts of Te determined for each tax period under sub-rule (1) exceeds Te^{final}, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

Explanation.- For the purpose of calculation of Tc^{final} , part of the month shall be treated as one complete month.

- (3) The amount Te^{final} and Tc^{final} shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.
- (4) Where any capital goods are used for more than one project, input tax credit with respect to such capital goods shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (2).
- (5) Where any capital goods used for the project have their useful life remaining on the completion of the project, input tax credit attributable to the remaining life shall be availed in the project in which the capital goods is further used;";
- (iii) the Explanation shall be numbered as "Explanation 1" thereof and after Explanation 1 as so numbered the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation 2: For the purposes of rule 42 and this rule,-

- (i) the term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (ii) the term "project" shall mean a real estate project or a residential real estate project;
- (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (iv) the term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent. of the total carpet area of all the apartments in the REP;
- (v) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (vi) "Residential apartment" shall mean an apartment intended for residential use as declared to the Real Estate Regulatory Authority or to competent authority;#
- (vii) "Commercial apartment" shall mean an apartment other than a residential apartment;
- (viii) the term "competent authority" as mentioned in definition of "residential apartment", means the local authority or any authority created or established under any law for the time being in force by the Central Government or State Government or Union Territory Government, which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property;
- (ix) the term "Real Estate Regulatory Authority" shall mean the Authority established under sub- section (1) of section 20 (1) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) by the Central Government or State Government;
- (x) the term "carpet area" shall have the same meaning assigned to it in in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

- (xi) "an apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project" shall mean an apartment which meets all the following three conditions, namely-
 - (a) part of supply of construction of the apartment service has time of supply on or before the said date; and
 - (b) consideration equal to at least one installment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date; and
 - (c) an allotment letter or sale agreement or any other similar document evidencing booking of the apartment has been issued on or before the said date.
- (xii) The term "ongoing project" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended;
- (xiii) The term "project which commences on or after 1st April, 2019" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Bihar Gazette, Extraordinary, dated 29th June, 2017 *vide* number 554 dated 29th June, 2017, as amended;".
- 5. In the said rules, after rule 88, the following rule shall be inserted, namely: -

"Rule 88A. Order of utilization of input tax credit.- Input tax credit on account of integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax, and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax or Union territory tax, as the case may be, in any order:

Provided that the input tax credit on account of central tax, State tax or Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully."

- 6. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for rule 100, the following rule shall be substituted, namely:–
- "100. Assessment in certain cases.-(1) The order of assessment made under sub-section (1) of section 62 shall be issued in FORM GST ASMT-13 and a summary thereof shall be uploaded electronically in FORM GST DRC-07.
 - The proper officer shall issue a notice to a taxable person in accordance with the provisions of section 63 in **FORM GST ASMT-14** containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis and shall also serve a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**, and after allowing a time of fifteen days to such person to furnish his reply, if any, pass an order in **FORM GST ASMT-15** and summary thereof shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**.
 - (3) The order of assessment under sub-section (1) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-16** and a summary of the order shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**.
 - (4) The person referred to in sub-section (2) of section 64 may file an application for withdrawal of the assessment order in **FORM GST ASMT-17**.
 - (5) The order of withdrawal or, as the case may be, rejection of the application under sub-section (2) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-18**.".
 - 7. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for rule 142, the following rule shall be substituted, namely:–
- "142. Notice and order for demand of amounts payable under the Act.-(1) The proper officer shall serve, along with the

- (a) notice issued under section 52 or section 73 or section 74 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,
 - (b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**, specifying therein the details of the amount payable.
- (2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74,or where any person makes payment of tax, interest, penalty or any other amount due in accordance with the provisions of the Act he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.
- (3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under subsection (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), or where the person concerned makes payment of the amount referred to in sub-section (1) of section 129 within fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance, he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.
- (4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 or the reply to any notice issued under any section whose summary has been uploaded electronically in **FORM GST DRC-01** under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM GST DRC-06**.
- (5) A summary of the order issued under section 52 or section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 75 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.
 - (6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.
- (7) Where a rectification of the order has been passed in accordance with the provisions of section 161 or where an order uploaded on the system has been withdrawn, a summary of the rectification order or of the withdrawal order shall be uploaded electronically by the proper officer in **FORM GST DRC-08**."
- 8. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for **FORM GST DRC-01**, the following FORM shall be substituted, namely:–

Tonowing I Order shan be substituted, namely.									
"FORM GST DRC -	01								
[See rule 100 (2) & 142(1)(a)]									
Reference No:		Date:							
То									
GSTIN/Temp. ID									
Name									
Address									
Tax Period	F.Y	Act -							
Tax reliou	1.1	Act -							

- ·	0 (' / 1 (' 1 1' 1 00))										
	Section / sub-section under which SCN is being issued - SCN Reference No Date										
	Summary of Show Cause Notice										
Brief fa	cts of t	he case:		,	J (11				
Ground											
Tax and	lother	dues:									
	(Amount in Rs.)										
Sr.	Tax	Turnover	Tax		Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
No.	rate		Period			(Place of					
	From To Supply)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	3	U	/	0	9	10	11	12
Total	Total										
Total											
									Signatur	e	
]	Name	Signatur	~	
								signation			
							Jur	isdiction			
	Address										
Note -	01	1: . 11 6	.1.1.	1. 4	C.11 1						
4. 5.		applicable fi					: a tow	moto tum	arvan and	tor mania	d ana mat
mandate		nn nos. 2, 3	, 4 and	3 01 1	me ao	ove rable	i.e. tax	rate, turi	iover and	tax perio	d are not
	-	of Supply (I	POS) de	tails s	shall h	e required o	only if	the demai	nd is creat	ed under	the IGST
Act.".	1 1400	or suppry (1	(00) 40	turis t	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	e required (J111 11	tire delina	10 10 01000	ea anaci	
		th effect fr					said ru	iles, for I	FORM G	SST DRO	C- 02 , the
followin	ng FOF	RM shall be				/:-					
			A GST rule 142								
Referen	ce No		инс 1 4 2	(1)(0	/1				1	Date:	
									•	_ ~~~	
То											
		GSTIN	I/ID								
		Name									
		Addres	SS								
Tax Period: F.Y.:											
Section /sub-section under which statement is being issued:											
SCN Ref. No Date –											
Stateme	Statement Ref. No Date –										
	Summary of Statement:										
` '		ets of the cas	se:								
(b) Gro		. 1									
(c) Tax	and ot	her dues :									

									()	Amount i	n Rs.)
Sr. No.	Tax	Turnover	Tax		Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
	rate		Period			(Place of					
						of					
			From	То		Supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

Signature Name Designation Jurisdiction Address

Note -

- 1. Only applicable fields may be filled up.
- 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
- 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.".
- 10. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST DRC-07, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST DRC-07

[See rule 100(1), 100(2), 100(3) & 142(5)]

Summary of the order

Reference No. -

Date -

- 1. Details of order:
 - (a) Order No.:
 - (b) Order date:
 - (c) Financial year:
- (d) Tax period: From --- To ------
- 2. Issues involved:
- 3. Description of goods / services (if applicable):

Sr. No.	HSN code	Description

- 4. Section(s) of the Act under which demand is created:
- 5. Details of demand:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax	Turnover	Tax Pe	eriod	Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
	Rate		From	To		(Place of					
						Supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

You are hereby directed to make the payme against you to recover the outstanding dues	•	proceedings shall be initiated
	Signature Name Designation Jurisdiction Address	
To(GSTIN/ID)Name(Address) Note1. Only applicable fields may be a	filled up.	
2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the are not mandatory. 3. Place of Supply (POS) details IGST Act.". 11. With effect from 1 st April, 2 following FORM shall be substituted, name "FORM GST DI	shall be required only if the 2019, in the said rules, for ely:-	e demand is created under the
	de 142(7)]	Date:
1. Particulars of order:		
(a) Financial year, if applicable		
(b) Tax period, if any	From To	
c) Section under which order is passed		
(d) Original order no.		
(e) Original order date		
(f) Rectification order no.		
(g) Rectification order date		
ARN, if applied for rectification		
(i) Date of ARN		
 2. Your application for rectification of the of the second to my notice that the above said for rectification as per attached annexure) 4. The order referred to above (issued under withdrawn) 5. Description of goods / services (if application) 	d order requires rectification or section 129) requires to be	n (Reason

Sr. No.	HSN code	Description

- 6. Section of the Act under which demand is created:
- 7. Details of demand, if any, after rectification:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax	Turnover	Tax Pe	eriod	Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
	Rate		From	To		(Place of					
						Supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

You are hereby directed to make the payment by <Date> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Note -

- 1. Only applicable fields may be filled up.
- 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the Table at serial no. 7 i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
- 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.
- 4. Demand table at serial no. 7 shall not be filled up if an order issued under section 129 is being withdrawn.".

12. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for **FORM GST ASMT-13**,the following FORM shall be substituted, namely:–

TORNI Shan oc substituted, hame	·	
	"FORM GS	T ASMT- 13
	[See rule 100(1)]	
Reference No.:		Date:
То		
(GSTIN/ID Name (Address))	
Tax Period :	F.Y. :	Return Type:
Notice Reference No.:	1.1	Date:
Notice Reference No		Date.
Act/ Ru	les Provisions:	
	Asse	ssment order under section 62

(Assessment order under Section 62)

Preamble - << standard >>

The notice referred to above was issued to you under section 46 of the Act for failure to furnish the return for the said tax period. From the records available with the department, it has been noticed that you have not furnished the said return till date.

Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction:

Submissions, if any:

Discussions and Findings:

Conclusion:

Amount assessed and payable (Details at Annexure):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Tax pe	eriod	Act	(Place	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	То		of supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

Please note that interest has been calculated up to the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, proceedings shall be initiated against you, after the aforesaid period, to recover the outstanding dues.

Signature Name

Designation

Jurisdiction

Address

Note -

- 1. Only applicable fields may be filled up.
- 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
- 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

13. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for **FORM GST ASMT-15**, the following FORM shall be substituted, namely:–

	"FORM GST ASMT - 15	
	[See rule 100(2)]	
Reference No.:		Date:
То		
(GSTIN/ID)		
Name		
(Address)		

Tax Period :		F.Y.:
SCN reference no.:		Date:
	Act/ Rules Provisions:	

Assessment order under section 63

Preamble - << standard >>

The notice referred to above was issued to you to explain the reasons for continuing to conduct business as an un-registered person, despite being liable to be registered under the Act.

OR

Whereas, no reply was filed by you or your reply was duly considered during proceedings held on ----- date(s).

On the basis of information available with the department / record produced during proceedings, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction:

Submissions, if any:

Conclusion (to drop proceedings or to create demand):

Amount assessed and payable:

(Amount in Rs.)

Sr.	Tax Rate	Turnover	Tax Per	iod	Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
No.			From	To		(Place of					
						Supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total								·			

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

Designation Jurisdiction Address

Note -

- 1. Only applicable fields may be filled up.
- 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
- 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

14. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for **FORM GST ASMT-16**, the following FORM shall be substituted, namely:–

following FORM sha	Il be substituted, namely:-	
	"FORM GST ASMT – 16	
	[See rule 100(3)]	
Reference No.:	. , , , , ,	Date:
To		
(0	GSTIN/ID)	
	ame	
(A	Address)	
Tax Period:	F.	Y.:
	Act/ Rules Provisions:	
	Assessment order under section 64	
	Preamble - << standard >>	
It has come to	o my notice that un-accounted for goods are lying	g in stock at godown
(address) or in a vehic	cle stationed at (address & vehicle de	tail) and you were not able to
account for these goo	ds or produce any document showing the detail o	f the goods.
Therefore, I proceed t	to assess the tax due on such goods as under:	
Introduction:	· ·	
Discussion & finding	:	
Conclusion:		
Amount assessed and	payable (details at Annexure):	
		(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax	Turnover	Tax Pe	eriod	Act	POS	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
	Rate		From	To		(Place of					
						Supply)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total								·			

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues. Signature

Name

Designation

Jurisdiction Address

Note -

Only applicable fields may be filled up.

Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

15. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, in **FORM GST CPD-02**, for the table and Note below the table, the following table and Note shall be substituted, namely:–

"Sr. No.	Offence	Act	Compounding amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)

Note:- (1) In case the offence committed by the taxable person falls in more than one category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in which the offence sought to be compounded can be categorized.

(2) This amount will be deposited under minor head "Other".".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 1207)] By the order of Governor of Bihar, Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 536-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in